बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका सं0–17/क्यू 01–05/2006–. 209 (17) पटना, दिनांक– 18/2/13

डा0 अशोक कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट, सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (सम्प्रति यूरोलोजी विभाग के सहायक प्राध्यापक) के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 95(17) दिनांक–29.01.08 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन विभागीय अधिसूचना सं0 23(17) दिनांक–08.01.10 द्वारा निन्दन एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक सम्बन्धी आदेश के साथ किया गया।

2. डा0 सिंह द्वारा उपर्युक्त सजा के विरूद्ध एक अपील अभ्यावेदन दिनांक–18.02.10 समर्पित किया गया है।

3. डा0 सिंह के अपील अभ्यावेदन (प्रति संलग्न) में उठाए गये बिन्दुओं की सम्यक जाँच हेतु निम्न प्रकार एक द्विसदस्यीय समिति गठित की जाती है।

(i) श्री शंकर झा, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

(ii) डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य विभाग,बिहार, पटना

4. समिति अधिकतम दो माह की अवधि में प्रतिवेदन विभागीय प्रधान सचिव को समर्पित करेगी।

(सांवर भारती)
प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/क्यू 1–05/2006 209 (17) पटना, दिनांक– 18/2/13

प्रतिलिपि :–सम्बन्धित पदाधिकारी द्वय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/क्यू 1–05/2006 - 209 (17) पटना, दिनांक– 18/2/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/अपर सचिव (शाखा–17) के निजी सहायक/प्रशासी पदाधिकारी के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रशासी पदाधिकारी